केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मुख्यालय)
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान
An Autonomous Body Under Ministry of Education, Govt. of India
18 संस्थागत क्षेत्र/18 Institutional Area,
शहीदजीत सिंह मार्ग/Shaheed Jeet Singh Marg
नईदिल्ली/New Delhi – 110016
दूरभाष/Telephone: 011-26858570
वेबसाईट/*Website: www.kvsangathan.nic.in*

फा.क्र. 11-E-3056(SHTR)/1/2022-Estt-III\1067-71. **दिनांक: 09.05.2022**

ज्ञापन

विषय: वर्ष 2022 के लिए कनिष्ठ अनुवादक/ कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक के पद से वरिष्ठ अनुवादक / वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक के पद पर पदोन्नति ।

सक्षम अधिकारी द्वारा निम्नलिखित **कनिष्ठ अनुवादक/ कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक** को **वरिष्ठ अनुवादक / वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक** के पद पर सातवें वेतन आयोग के अनुरूप **लेवल 7- रु° 44900-142400 (7th सीपीसी)** में पदोन्नत करने को मंजूरी दे दी गई है। उनको उनके नाम के आगे दर्शाए गए **कॉलम 6** में उल्लिखित कार्यालय में पदस्थ किया गया है। उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक **16.05.2022** तक पदोन्नति के लिए अपनी बिना-शर्त स्वीकृति (Unconditional Acceptance) को इस कार्यालय को प्रेषित करें। साथ ही वे अपने वर्तमान कार्यालय से कार्यमुक्त होकर नियमानुसार कार्यभार ग्रहण करने की अवधि (Joining Time) का उपभोग कर **वरिष्ठ अनुवादक /वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक** के पद पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि वे दिनांक **20.05.2022** तक वर्तमान कार्यालय से कार्यमुक्त होने में विफल रहते है, तो पदोन्नति के इस प्रस्ताव को स्वतः ही वापस ले लिया माना जाएगा और के.वि.सं. (मुख्यालय) के पत्र संख्या 6-6/1999/केवीएस(मुख्यालय)/आरपीएस दिनांक 4.9.2008 के अनुसार दिनांक **21.05.2022** से उन्हें 1 वर्ष के लिए पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा एवं उनकी वरिष्ठता में परिवर्तन होगा।

क्र.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक का नाम	जन्मतिथि	वर्तनाम कार्यालय	आबंटित कार्यालय
1	**3**	**4**	**5**	**6**
1	श्री संजीव सक्सेना	10.07.1966	क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई	के.वि.सं. (मुख्यालय) नई दिल्ली

2. कर्मचारी को विकल्प दिया जाएगा कि वह पदोन्नति की तिथि या निचली पोस्ट में वेतन वृद्धि की तिथि से, यानी, 1 जुलाई को अपना वेतन निर्धारण करवा सकते हैं। परंतु यह विकल्प एक महीने के भीतर दिया जाना चाहिए।

3. कर्मचारी की बीमारी / प्रसूति के कारणों को छोड़कर कोई भी विस्तार नहीं किया जायेगा । जिसके लिए सरकारी अस्पताल के सिविल सर्जन / जिला अस्पताल या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग / परियोजनाओं के अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर से जो स्कूल संलग्न है / एक सैन्य या कमान अस्पताल से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है । यदि कोई ऐसा अनुरोध हो तो विस्तार के लिए केवीएस (मुख्यालय) को **दिनांक 20.05.2022** तक उचित माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

4. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पदोन्नति पर पदस्थापन की जगह या कार्यभार ग्रहण करने की तिथि में विस्तार के लिए अनुरोध पर (उपरोक्त पैरा 3 के तहत आने वाले मामले के अलावा) किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

9/5/22
(अनुराग भटनागर)
सहायक आयुक्त (स्थापना-I)

वितरणः

1. संबंधित कर्मचारी को इस निर्देश के साथ कि उन्हें दिनांक **16.05.2022** तक अनिवार्य रूप से अपनी स्वीकृति इस कार्यालय को प्रेषित करें । यदि उन्हें पदोन्नति का प्रस्ताव स्वीकार हो तो दिनांक **20.05.2022** तक या उससे पहले कार्यमुक्त हो। यदि वह इस तिथि तक कार्यमुक्त नहीं हो पाता तो उन्हें दिनांक **20.05.2022** को कार्यमुक्त माना जाएगा ।
2. संबंधित उपायुक्त, के.वि.सं. क्षेत्रीय कार्यालय को आवश्यक कार्यवाई हेतु । यदि संबंधित कर्मचारी द्वारा पदोन्नति के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है तो वे दिनांक **16.05.2022** तक अपनी बिना-शर्त सहमति संबंधित उपायुक्त के माध्यम से के.वि.सं. (मु.) को भिजवाना सुनिश्चित करें। यदि वे निर्धारित तिथि तक अपनी स्वीकृति बिना किसी शर्त के असहमत रहते है तो यह मान लिया जाएगा कि वे अपनी पदोन्नति का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहते और इस संबंध में उन्हें बिना किसी पत्राचार के इस प्रस्ताव को वापस ले लिया जाएगा और यदि उन्होंने पदोन्नित के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है तो उन्हें **20.05.2022** तक हर हालत में कार्यमुक्त कर दिया जाए ताकि वे नियुक्ति के नए स्थान पर निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण कर सकें ।
3. वित्त अधिकारी, के.वि.सं., संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय ।
4. अनुभाग अधिकारी, (भर्ती एवं पदोन्नति अनुभाग), के.वि.सं. (मु.), नई दिल्ली ।
5. ईडीपी प्रकोष्ठ, के.वि.सं. (मु.), नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे इसे मुख्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।
6. गार्ड फाइल ।

9/5/22
सहायक आयुक्त (स्थापना-I)